नगर परिषद कांगड़ा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 04/2011 से 03/2013

भाग–एक

प्रारम्भिक :–

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 255(1) में संशोधन होने व प्रधान सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्याः 1–376/81–फिन(एल0ए0)खण्ड–IV, दिनांक 16.10.2008 द्वारा नगर परिषदों तथा नगर पंचायतों के लेखाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत नगर परिषद कांगड़ा, जिला कांगड़ा के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य किया गया।

(क) अंकेक्षणाधीन अवधि के दौरान निम्नवर्णित प्रधान व कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद कांगड़ा में तैनात थे :–

प्रधान :–

क्रम संख्या	प्रधान का नाम	तैनाती की अवधि
1	श्रीमती सुमन वर्मा	1.4.2011 से 31.3.2013

कार्यकारी अधिकारी :–

1	श्री देश राज चौधरी (अतिरिक्त कार्यभार)	1.4.2011 से 2.4.2012
2	श्री किशोरी लाल	3.4.12 से 31.3.2013

(ख) नगर परिषद कांगड़ा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के लेखों अवधि 01.04.2011 से 31.03.2013 तक अंकेक्षण में पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त सार।

क्रम संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	पैरा संख्या	राशि लाखों में
1	अवधि 03/11 से पूर्व में प्राप्त अनुदान राशि का व्यय न करना	7	86.17
2	गृहकर दकानों के किराये कूड़ा संयत्र एवं मोबाईल टावर शुल्क की बकाया राशियॉ वसूली हेतु शेष	9	56.29
3	गृहकर की बकाया राशि निध्ररित दर से वसूल न करने के कारण वित्तीय हानि	10	3.99
4	निर्माण कार्य पर किया गया अनियमित व्यय	15	1.29
5	संविदाकार को सम्भावित अनुचित/अधिक भुगतान	16	0.28
6	निर्माण कार्य पर अपव्यय	19	2.30

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन :–

गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के शेष पैरों पर की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के उपरान्त नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट ''A'' पर दर्शाई गई है। यह देखने में आया है कि गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर नगर परिषद द्वारा कोई ठोस कार्यवाही नहीं की जा रही है जो कि अत्यन्त चिन्ताजनक है। अतः नगर परिषद इन लम्बित पैरों के निपटारे हेतु विशेष अभियान/कार्यवाही सुनिश्चित करे व अनुपालना से यथा समय इस विभाग को अवगत करे ताकि अधिक से अधिक पैरों का निस्तारण सम्भव हो सके।

भाग–दो

1 वर्तमान अंकेक्षण :–

नगर परिषद कांगड़ा, जिला कांगड़ा के अवधि 04/11 से 03/13 के लेखाओं का वर्तमान अंकेक्षण/जाँच परीक्षण श्री मुकेश कुमार स्नेही, (अनुभाग अधिकारी) तथा श्री भवनीश पुरी (आर्टिकल सहायक) द्वारा दिनांक 17.6.2013 से 7.8.2013 के दौरान कांगड़ा में सम्पन्न

किया गया। विस्तृत जाँच हेतु निम्न विवरणानुसार महीनों का चयन किया गया जिसके परिणामों को अनुवर्ती पैरों में समाविष्ट किया गया है।

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	चयनित माह (आय)	चयनित माह (व्यय)
1	2011—12	03 / 2012	03 / 2012
2	2012—13	1 / 2013	10 / 2012

यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अंकेक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपन कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं के आधार पर किया गया है। स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, किसी भी प्रकार की गलत सूचना या सूचना जो अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं करवाई गई है, की जिम्मेवारी लेने से इन्कार करता है। विभाग की जिम्मेवारी केवल अंकेक्षण के लिए चयनित महीनों तक ही सीमित है।

2 अंकेक्षण शुल्क :—

नगर परिषद के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹27400 / — आंका गया, जिसमें से अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 23, दिनांक 7.8.13 पर कार्यवाही करते हुये नगर परिषद द्वारा राशि ₹25000 / — को बैंक ड्राफ्ट संख्या 747315 दिनांक 27.9.13 द्वारा निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला—9 के नाम प्रेषित कर दिया गया। अतः शेष राशि ₹2400 / — को राजकीय कोष में जमा करवाने हेतु संशोधित अधियाचना संख्या 33 दिनांक 26. 11.13 द्वारा अनुरोध किया गया।

3 वित्तीय स्थिति :—

कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद द्वारा उपलब्ध करवाये गए अभिलेख अनुसार, अंकेक्षण अवधि के दौरान नगर परिषद के लेखाओं (अपने स्त्रोतों से प्राप्त आय, अनुदान राशियों, पैंशन एवं उपदान तथा जी0पी0एफ0) का रख—रखाव सम्मिलित रूप में एक ही रोकड़ वही में किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त वर्तमान अंकेक्षण की वित्तीय स्थिति के आरम्भिक शेष के सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि दिनांक 31.3.11 को गत अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4 / 07 से

3/11 में अपने स्त्रोतों से प्राप्त आय, अनुदान राशियों, पैन्शन एवं उपदान तथा जी0पी0एफ0 के अन्तशेष की राशियों को नीचे दिये विवरणानुसार वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में जोड़कर सम्मिलित रूप से आरम्भिक शेष दर्शाया गया है।

नगर परिषद से सम्बन्धित लेखें	**गत अंकेक्षण प्रतिवेदन अनुसार दिनांक 31.3.11 को अन्तशेष**
अपने स्त्रोतों से आय	4042599
अनुदान	8617291
जी0पी0एफ0/सी0पी0एफ0	1708707
पैन्शन एवं उपदान	1479395
दिनांक 1.4.11 को वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में दर्शाया आरम्भिक शेष	15847992

विभिन्न खातों से सम्बन्धित ब्याज की राशियों को सम्मिलित रूप में एक ही रोकड़ वही में दर्ज किया गया जिसके अभाव में इसका अलग–2 ब्यौरा नही दिया जा सका। नगर परिषद की वर्ष 2011–12 व 2012–13 की सम्मिलित/एकीकृत वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से है। गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 3 में रोकड़ वही का उचित ढ़ंग से संरक्षण करने बारे सुझाव दिया था। लेखा परिषद द्वारा इस ओर कोई उचित कार्रवाई नहीं की जा रही है। अतः यह मामला परिषद के उच्चाधिकारियों के विशेष ध्यानार्थ आगामी आवश्यक कार्रवाई हेतु लाया जाता है।

वर्ष	**आरम्भिक शेष**	**पावतियॉ**	**ब्याज**	**कुल योग**	**व्यय**	**अन्तशेष**
2011–12	15847992	29013285	562128	45423405	24973620	20449785
2012–13	20449785	37603193	1198098	59251076	19082844	40168232

बैंक समाधान विवरणः–

दिनांक 31.3.13 को बैंक में जमा राशियों का अन्तशेष जमा किये	40322134
बैंक द्वारा अधिक घटाई गई राशि (परिशिष्ट "B" अनुसार)	44186

दिनांक 31.3.13 की आय (परिशिष्ट "B" अनुसार)	24451
कम जमा राशि	77
	40390848

घटायें:–

चैक जो दिनांक 31.3.13 तक बैंक में भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं हुये:–

दिनांक	**चैक सं0**	**जिसे जारी किये**	**राशि**	
18.7.11	307837	मै0 सिंगला इन्टरप्राईजिज	252	
15.9.11	262448	श्री रामस्वरूप वर्मा	26300	
1.12.11	344064	यूनिक मोर्टस	13056	
1.3.12	346004	रितेश इलैक्ट्रिकल	1000	
6.3.13	697675	श्री विनय गर्ग	12639	
12.3.13	705545	धौलाधार सर्विस स्टेशन	25500	
26.3.13	705555	असिस्टैंट इन्जिनियर एच0पी0एस0ई0बी0	5256	
26.3.13	705556	इन्जिनियर एच0पी0एस0ई0बी0	4490	
28.3.13	343727	निर्मला देवी	134051	222544

अधिक जमा राशि (परिशिष्ट "B" अनुसार)	72
दिनांक 31.3.13 को रोकड़ वही के अनुसार अन्तशेष	40168232

4 निवेश :–

उपलब्ध करवाये गए अभिलेख अनुसार दिनांक 31.03.13 को निवेश की स्थिति निम्न प्रकार से रही :–(परिशिष्ट "C" अनुसार)

क्र0 सं0	**एफ0डी0आर0 बैंक का नाम**	**दिनांक**	**निवेशित राशि**	**दर**	**अवधि**	**परिपक्वता दिनांक**
1	65057282735	1.3.12	₹301482	9.25%	3 वर्ष	2.3.15
2	50050044560	15.9.12	₹22077	8.75%	एक वर्ष	16.9.13
3	50050044627	15.9.12	₹22077	8.75%	एक वर्ष	16.9.13

4	20033117842	18.10.12	₹35474	8.75%	एक वर्ष	18.10.13
5	500541392	23.01.13	₹2717000	8.75%	एक वर्ष	23.1.14
			₹3098110			

5 रोकड़ वही का रख रखाव उचित ढ़ंग से न करनाः–

रोकड़ वही के अवलोकन पर निम्नलिखित अनियमिततायें पाई गईः–

(1) रोंकड़ वही की प्रत्येक प्रविष्टि को सम्बन्धित कार्यकारी अधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था जबकि हिमाचल प्रदेश नगर पालिका लेखा संहिता के नियम 19 के अनुसार रोकड़ वही की प्रत्येक प्रविष्टि की जांच कार्यकारी अधिकारी द्वारा की जानी अपेक्षित थी।

(2) रोकड़ वही में (जी–8) रसीदों की प्रविष्टि क्रमवार न करके आगे पीछे की गई थी जिससे चयनित महीनों में प्राप्त आय की रोकड़ वही में प्रविष्टि की जॉच करने में असुविधा का सामना करना पड़ा। अतः यह सुझाव दिया जाता है कि रोकड़ वही में (जी–8) रसीदों की प्रविष्टि क्रमवार की जानी सुनिश्चित की जाए ताकि प्रत्येक जी–8 की प्रविष्टि रोकड़ वही में सुनिश्चित की जा सके।

(3) नगर परिषद द्वारा अपने स्त्रोतों से प्राप्त आय अनुदान राशियों पैन्शन एवं उपदान तथा जी0पी0एफ0 का रख रखाव सम्मिलित रूप में एक ही रोकड़ वही में किया गया था, जिससे नगर परिषद की सही वित्तीय स्थिति का चित्रण नहीं हो सका। अतः सुझाव दिया जाता है कि उपरोक्त शीर्ष को (Heads) के लिए अलग–अलग रोकड़ वहियों का प्रयोग किया जाए ताकि वित्तीय स्थिति का सही प्रारूपण किया जा सके।

6 बैंक खातों के रख–रखाव के बारे मेंः–

रोकड़ वही एवं बैंक खातों के मिलान में यह पाया गया कि नगर परिषद द्वारा दिनांक 31.3.13 तक विभिन्न बैंकों में कुल 19 खाते खुलवा रखे थे, जिनमें इस तथ्य का स्पष्टता अभाव था कि विभिन्न शीर्षकों (own Sources Grants Pension Gratuity GPF and CPF) की प्राप्त आय कौन से खाते में जमा की गई थी तथा विभिन्न शीर्षकों का व्यय कौन से खाते से किया गया था, जिससे उपरोक्त विभिन्न शीर्षकों की अलग–अलग वित्तीय स्थिति का सही लेखन नहीं हो

पाता। अतः यह सुझाव दिया जाता है कि वर्तमान खातों को बन्द/इकटठा करके उक्त शीर्षकों हेतु अलग–अलग खाते खुलवाए जाए तथा रोकड़ वही से उक्त शीर्षकों की राशि की सही गणना उपरान्त सम्बन्धित खातों में डाली जाए तथा भविष्य में सम्बन्धित शीर्षक की आय–व्यय का लेन देन सम्बन्धित खाते से ही किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि अलग–अलग शीर्षकों की वित्तीय स्थिति का सही चित्रण किया जा सके।

7 अवधि 3/11 से पूर्व में प्राप्त अनुदान की राशि ₹8617291.00 व्यय हेतु शेषः–

गत अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/07 से 3/11 के परिशिष्ट "D" अनुसार दिनांक 31.3.11 को ₹8617291.00 की अनुदान राशियां व्यय हेतु शेष थी इस राशि का विवरण अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट "E" पर दिया गया है। परिशिष्ट के अवलोकन पर पाया गया कि वर्तमान अंकेक्षण अवधि के दौरान उक्त लम्बित पड़ी सरकारी अनुदान की राशियो को व्यय नहीं किया गया है। यह शेष राशि वर्ष 1985–86 से वर्ष 2010–11 से सम्बन्धित थी जिससे स्पष्ट है कि नगर परिषद द्वारा वर्ष 1985–86 से वर्ष 2010–11 तक विभिन्न विभागों से प्राप्त सरकारी अनुदानों को उपयोग करने उपरान्त शेष राशि को सम्बन्धित विभागों को नहीं लौटाया गया। अतंशेष बची राशि को अविलम्ब सम्बन्धित विभागों को लौटाया जाना सुनिश्चित किया जाए जिन विभागों से उक्त अनुदान राशि प्राप्त की गई थी। अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

8 वर्तमान अंकेक्षण अवधि के दौरान प्राप्त अनुदानः–

वर्तमान अंकेक्षण अवधि के दौरान नगर परिषद को विभिन्न विभागों से प्राप्त अनुदान राशियों व व्यय की सूची इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट "E व F" पर दी गई है।

9 गृहकर, दुकानों के किराये कूड़ा संयत्र व मोबाईल टावर शुल्क ₹5629901.00 की बकाया राशि वसूली न करनाः–

दिनांक 31.3.2013 को ₹5629901.00 गृहकर दुकानों के किराये कूड़ा संयत्र एवं मोबाईल टावर शुल्क के रूप में वसूली जानी शेष थी जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

क्र0सं0	शीर्ष	दिनांक 31.3.13 को बकाया राशि	टिप्पणी
1	गृहकर	3990101	परिशिष्ट "G" में वर्णित
2	दुकानों एवं भवनों का किराया	11128256	परिशिष्ट "G" में वर्णित
3	कूड़ा सयंत्र प्रबन्धन शुल्क	355824	परिशिष्ट "G" में वर्णित
4	मोबाईल टावर शुल्क	155720	परिशिष्ट "G" में वर्णित
		5629901	

निदेशक, शहरी विकास विभाग हिमाचल प्रदेश के पत्र संख्या यू0एल0बी0–एच(ए)–1/87–9237–9284 दिनांक 20.6.01 के अनुसार गृहकर एवं अन्य करों की 100% वसूली करने के निर्देश दिए गए तथा विफलता पर सम्बन्धित कार्यकारी अधिकारी को उत्तरदायी ठहराया जाना था। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि सम्बन्धित कार्यकारी अधिकारी द्वारा उक्त पत्र के दिशा निर्देशों एवं हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1994 के नियमों की अनुपालना नहीं की जा रही है अन्यथा दिनांक 31.3.13 को इतनी अधिक राशि वसूली योग्य शेष न रहती। अतः यह परामर्श दिया जाता है कि बकाया राशियों की अविलम्ब वसूली हेतु समुचित पग उठाये जाये ताकि नगर परिषद के विकास कार्य प्रभावित न हो।

10 गृहकर की बकाया राशि पर 10% की दर से सरचार्ज न लगाने से ₹3.99 लाख की वित्तीय हानिः–

निदेशक, शहरी विकास विभाग हिमाचल प्रदेश के पत्र संख्या यू0डी0–एच0(बी)(15)–4/99 दिनांक 26.6.03 के अनुसार चालू वर्ष के गृहकर का बिल जारी करने के उपरान्त 10 दिनों के भीतर गृहकर जमा करवाने पर कर की राशि का 20% की छूट दी जानी अपेक्षित थी परन्तु यदि 10 दिनों के भीतर कर की राशि जमा नहीं करवाई जाती तो बकाया राशि पर 10% की दर से सरचार्ज निर्धारित किया जाना अपेक्षित था। अभिलेख की जॉच उपरान्त यह पाया गया कि नगर परिषद प्रशासन द्वारा यद्यपि निर्धारित समय पर कर चुकाने पर 20% की छूट दी थी परन्तु निर्धारित समय पर कर न चुकाने पर बकाया राशि पर

10**%** की दर से सरचार्ज नहीं लगाया था जिस कारण नगर परिषद निधि को दिनांक 31.3.13 को गृहकर की बकाया राशि पर 10**%** की दर से कम से कम ₹399010.00 की वित्तीय हानि उठानी पड़ी। अतः सरचार्ज न लगाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा समय पर गृहकर न चुकाने वाले गृहकर दाताओं की बकाया राशि पर नियमानुसार सरचार्ज निर्धारित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

11 वर्षवार गृहकर की वसूली न करनाः—

गृहकर से सम्बन्धित अभिलेखों की जांच उपरान्त यह पाया गया कि नगर परिषद कांगड़ा द्वारा अंकेक्षण अवधि 4/2011 से 3/2013 के दौरान गृहकर दाताओं से गृहकर की वर्ष वार मांग नहीं की गई जबकि गृहकर की मांग वार्षिक आधार पर की जानी अपेक्षित है। इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्या 2 दिनांक 9.7.13 द्वारा स्पष्टीकरण मांगा गया जिसका उतर नगर परिषद द्वारा अंकेक्षण सम्पन्न होने तक उपलब्ध नहीं किया गया। यह मामला परिषद के उच्च अधिकारियों के विशेष ध्यानार्थ आगामी आवश्यक कार्रवाई हेतु लाया जाता है।

12 तह—बाजारी एवं सैनिटेशन डोनेशन के रूप में वसूल की गई राशि ₹480 को जमा न करनाः—

तह—बाजारी रजिस्टर के पेज सं0 188 दिनांक 18.3.12 की जांच पर पाया गया कि रसीद बुक नं0 304 रसीद संख्या 129—141 द्वारा तह बाजारी के रूप में ₹260/— वसूल किए गए थे व इसी प्रकार सैनिटेशन डोनेशन रजिस्टर के पेज संख्या 26 दिनांक 18.3.12 रसीद बुक नं0 69 रसीद संख्या 175—185 द्वारा सैनिटेशन डोनेशन के रूप में ₹220/— वसूल किए गए थे परन्तु उपरोक्त राशियों की प्रविष्टियॉ रोकड़ वही में दर्ज नहीं की गई जिसके अभाव में इन राशियों की बैंक में जमा की पुष्टि की जा सकी जिस बारे औचित्य स्पष्ट किया जाये व आगामी अंकेक्षण में उक्त राशि ₹480/— की जमा की पुष्टि करवाई जाए अन्यथा उचित स्त्रोत से ₹480/—की वसूली कर नगर परिषद निधि में जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

13 कार पार्किंग ठेकेदार से जुर्माना राशि ₹1200/– की वसूली न करनाः–

दिनांक 4.5.12 को नगर परिषद कार्यालय के समीप कार पार्किंग फीस वसूली हेतु इकरारनामा जोकि श्री साजन कुमार व नगर परिषद कांगड़ा, कार्यकारी अधिकारी के मध्य हुआ की शर्त संख्या 5 अनुसार "यदि पार्किंग ठेकेदार समय पर बोली की किश्त की उदायगी नगर परिषद को नहीं करता है तो उससे ₹100/– प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना 15 दिन तक वसूल किया जाएगा तदोपरान्त पार्किंग ठेका रदद करके सिक्योरिटी जब्त कर ली जायेगी" जबकि शर्त संख्या 4 में "पार्किंग ठेकेदार को 10 जनवरी 2013 को चौकी व अन्तिम किश्त जमा करवानी होगी" लेखा परीक्षा में पाया गया कि चौथी किश्त 22.1.13 को जी–8 नं0 284/38 द्वारा ₹241000/– जमा करवाई गई जिस पर 12 दिनों हेतु ₹100/– प्रतिदिन की दर से ₹1200/– नियमानुसार जुर्माना नहीं वसूला गया इस बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा जुर्माना राशि की वसूली उचित स्त्रोत से की जानी सुनिश्चित की जाए।

14 रैन बसेरा के माह 3/13 से सम्बन्धित किराये की वसूली न करनाः–

रैन बसेरा अवधि 1.4.11 से माह 2/13 तक श्री सुनील कुमार शर्मा सुपुत्र श्री ज्ञान चन्द निवासी वार्ड नं0 7 कांगड़ा को ठेके पर दिया गया दर्शाया गया परन्तु रैन बसेरा को पुनः 1.4.13 से 31.3.14 तक ठेके पर दिया गया इस हेतु श्री रविन्द्र कुमार धीमान सुपुत्र श्री किशन दास निवासी गांव पलवाला डा0 दरगेला तह0 शाहपुर से इकरारनामा किया गया। अतः माह 3/13 हेतु रैन बसेरा के किराये की वसूली की गई राशियों से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। आवश्यक अभिलेख आगामी लेखा परीक्षा में आवश्यक सत्यापन हेतु उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

निर्माण कार्यः–

15 ₹129166/– का अनियमित व्ययः–

Name of work:- C/O Community Hall in ward No. 3 old Kngra

Sanction:- Letter No. VKVNY 3193-94 Dt. 12.8.2011 `200000

Estimate:- `200000

Work Award:- `213723/- on 6.86% above of HPSR Letter No. M.C/Work/11-1843 Dt 31.12.11

Name of Contractor:- Sh. Kashmir Singh

Actual Expenditure:- 329166/-

MB No.:- 12 Page 96-97

उपरोक्त कार्य के निष्पादन हेतु ₹200000/– की स्वीकृति प्रधान कि गई थे बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के इस कार्य पर ₹329166/– का व्यय किया गया अर्थात ₹129166/– का अनियमित व्यय किया गया जिसे सक्षम अधिकारी से कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त कर नियमित करवाया जाए।

16 ₹28633/– के अनुचित/अधिक भुगतानः–

प्रमुख कार्य बिल (Major Work bill) C/O Parking Floor of Multi purpose building near M.C. Office Kangra के निर्माण कार्य के दौरान Render Items के अतिरिक्त अन्य मदों का भुगतान ठेकेदार को किया गया। इन अतिरिक्त मदों की दरों की जांच में पाया गया कि निम्नलिखित मद की दर का निर्धारण CPWD Code dh Clause 12 (ii) के अनुसार नहीं किया गया था। जिस कारण संविदाकार को ₹28633/– को अनुचित/अधिक भुगतान किया गया। अतिरिक्त मद (Extra Item/Substitite Itme) का विस्तृत ब्यौरा इस प्रकार से हैः–

Name of Extra/Substitute Item:-Cutting in earth work in all kind of Soil i.e. Pick work +Jumper work

M.B.:-14 Pages 70-73

(क) भुगतान की गई दरः– HPSR 1999 Rate=₹59-55P.Cum

Premium given @73%=₹43.47P.Cum

Rate Paid ₹103.02P.Cum

(ख) CPWD Code की Clause 12 (ii) के अनुसार निर्धारित दर "If the rates for the additional altered or substituted work are not specifically provided in the contraract for the work"

Item of Similar Class in the work:-

Excavation in foundation, Trenches etc in earth work:-

Award rete: ₹150 P.Cum

HPSR 1999 Rate: ₹92.85P.Cum

Rate derived as per clause 12(ii) of CPWD Code:150/92.85x59.55=96.20P.Cum

(ग) क एवं ख में अन्तर 103.02-96.20=₹6.82 P.Cum

अतः Substitute item (Cutting in earth work) के भुगतान में 4198.32x6.82P.Cum ₹28632.54 का भुगतान अधिक किया गया। इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा अधिक किए गए भुगतान की वसूली उचित स्त्रोत से करके नगर परिषद के खाते में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

17 संशोधित प्राकलन एवं अतिरिक्त व्यय की स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त न करनाः—

निम्नलिखित निर्माण कार्य में 113.74**%** Deviation पाई गई थी एवं ₹69152/— का अतिरिक्त व्यय किया गया था लेकिन इस कार्य के लिए न तो संशोधित प्राकलन तैयार किया था और न ही अतिरिक्त व्यय की स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त की गई थी यह अनियमित है। अतः नियमों के अनुसार संशोधित प्राकलन एवं अतिरिक्त व्यय को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमित करवाया जाए अनुपालना आगामी लेखा परीक्षा में दर्शाई जाए।

Name of work:- R/O Donga Bazar Road Ward No. 6 Kangra

Estimate:- 19 Cum @ `2632/- Per cum=50012

Award letter:-Letter No. MC/work/11-1852 dt 31.12.11

Name of Contractor:- Sh. Pankaj Wali

Actual Expenditure:- 40.61 Cum @ `3200/-=129952

Deviation:113.74%

MB No.:- P-95

18 ठेकेदारों को कम दरो ंपर सीमेन्ट जारी करने के फलस्वरूप ₹1210/— की हानिः—

नगर परिषद द्वारा बाजार से सीमेन्ट क्रय करके विभिन्न कार्यो के निर्माण हेतु ठेकेदारो ंको क्रय मूल्य से कम दरो ंपर जारी किया गया था जबकि CPWD Work Manual के पैरा 25.7

के अनुसार "Issue rate of cement stealor any other items in the contractor should not be less than the marked rates of there commodities irrespective of the issue rate of the contract store."

(1) सीमेन्ट का क्रयः–

बिल का विवरण	**भण्डार प्रविष्टि**
Bill No. 2030 Dt. 14.11.11	Cement Stock Register
M/S Ashoka Traders Kangra 200bages cement @ `300 each=66000	पृष्ठ–4
Labour=200	दिनांक 14.11.11
66200	

(2) Issue Rate:- 66200/200=331+Storage Charges @ 3%=`341/-Per bag

अतः निमनलिखित कार्यो में निर्गमन मूल्य से कम दर पर सीमेन्ट जारी किया गया थाः–

(क) Name of work: Repair of Drain near Ashram side in Balmiki Mahalla word No. 4 Kangra

Name of Contractor:- Sh. Vijay Kumar

Award letter no.:- M.C./works/11-1619Dt. 14.11.11

Cement bag issued:-60 bags

Rate of Recovery :- `330 each bag

Issue Rate:-`341 each bag

M.B. Reference :M.B. 14 Page-5

Loss:- 60x11=`660.00

(ख) Name of work:- C/O of Street in ward No. 9

Name of Contractor:- Sh. Amit Gavtaion

Award letter No.:- M.C./work/11-1621 Dt. 14.11.11

Cement bag issued:-50 bages

Rate of Recovery:- `330/- Per bag

Issue Rate:- `341 each bag

Loss:- 50x11=550

M.B. Reference:- M.B. No. 12 Page-86

उपरोक्त कार्यो के निर्माण में सीमेन्ट को कम मूल्य में जारी करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा ₹1210/– की वसूली करके परिषद खाते में जमा करना सुनिश्चित किया जाए।

19 निर्माण कार्य पर ₹230743/– का अपव्ययः–

निर्माण कार्य C/O Two Rooms on 2nd Floor M.C. Office Kangra हेतु ₹322500/– की अनुमानित राशि का प्राकलन तैयार किया गया था जिसमें कुल 23 मदें ली गई थी। यह कार्य श्री प्रदीप कुमार संविदाकार को पत्र संख्या M.C./Work/74 दिनांक 17.01.12 द्वारा 17.62% प्रीमियम पर अवार्ड किया गया था लेकिन कार्य की विस्तृत जांच में पाया गया कि कार्य पूरा न करके पहले ही बिल में 9 मदें Execute करवाकर फण्ड की कमी के कारण ₹230743/– की लागत पर बन्द कर दिया गया जिसका कोई भी उपयोग नगर परिषद के द्वारा नहीं किया गया अर्थात परिषद द्वारा ₹230743/– का अपव्यय किया गया। अतः यह स्पष्ट किया जाए कि यदि नगर परिषद के पास कार्य के लिये पर्याप्त धन उपलब्ध नहीं थी तो निर्माण कार्य को प्रारम्भ करने का क्या औचित्य था। इससे स्पष्ट होता हे कि यह कार्य किसी व्यक्ति/ठेकेदार को अनुचित लाभ पंहुचाने हेतु ही प्रारम्भ किया गया प्रतीत होता है यह प्रकरण परिषद के उच्च अधिकारियों के विशेष ध्यान में आगामी आवश्यक कार्रवाई हेतु लाया जाता है।

20 संविदाकार के बिलों से जल प्रभार ₹18787.00 की कटौती न करनाः–

वर्ष 2011–13 व 2012–13 के निर्माण कार्यो के बिलों की जॉच में यह पाया गया कि परिषद द्वारा संविदाकारों के बिलों से जल प्रभार की कटौती नहीं की गई थी। माप पुस्तिका या अन्य अभिलेख में संविदाकार द्वारा जल को क्रय करके निर्माण कार्यों में प्रयोग करने सम्बन्धी कोई भी प्रमाण पत्र नहीं दिया गया था जिससे स्पष्ट है कि विभिन्न ठेकेदारों द्वारा जल का प्रयोग सरकारी स्त्रोतों/नल से निशुल्क किया गया था। निःशुल्क जल प्रयोग करने पर कार्य की कुल लागत (Gross Bill) पर 15% की दर से जल प्रभार की कटौती की जानी अपेक्षित

थी। नियमानुसार जल प्रभार की कटौती न करने के कारण नगर परिषद निधि को कुल राशि ₹18787/– की वित्तीय हानि उठानी पड़ी जिसका पूर्ण विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट "H" पर दिया गया है। अतः नियमानुसार जल प्रभार की कटौती न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा ₹18787.00 की वसूली उचित स्त्रोत से की जानी सुनिश्चित की जाए।

21 गाड़ियों की औसत तेल खपत का निर्धारण न करवाने के कारण ₹10824/– की वित्तीय हानि बारेः–

गाड़ियों की लॉग बुक की जांच में पाया गया कि नगर परिषद द्वारा गाड़ियों की औसत तेल खपत का निर्धारण सरकारी मान्यता प्राप्त संस्था से नहीं करवाया गया था। लॉग बुक की जांच में गाड़ियों की औसत तेल खपत में अन्तर पाया गया वाहन नम्बर एचपी–68–0165 की माह 4/07 से 3/09 तक औसत तेल खपत लगभग 10कि0मी0 प्रति लीटर थी तथा तदोपरान्त लगभग 6 कि0मी0/लीटर बनती है। इसी प्रकार वाहन नम्बर एचपी–40–0103 की माह 5/08 से 1/09 तक औसत तेल खपत लगभग 10 कि0मी0 प्रति लीटर बनती है तथा तदोपरान्त वर्ष 2011–12 में 9.80 कि0मी0 प्रति लीटर दर्शाई गई है। अतः उपरोक्त दोनों गाड़ियों की औसत तेल खपत 2.64 लीटर अधिक प्रयोग किए प्रतीत होता है विवरण निम्न प्रकार से हैः–

गाड़ी नं0 एच0पी0–68–0165

Month/Year	Total K.m. Coverte	Disel Concumption	Average	Excess
4/11	402	67	6	26.8
5/11	404	67	6.02	26.6
6/11	348	58	6	23.2
7/11	396	66	6	26.4
8/11	360	60	6	24
9/11	384	64	6	25.6
10/11	346	57.66	6	23
11/11	460	76.66	6	30.6
12/11	448	74.66	6	29.86
				236.06

गाड़ी नं0 एच0पी040—0103

Month/Year	Total K.m. Coverte	Disel Concumption	Average	Excess
4/11	921	93.97	9.80	1.87
7/11	1073	109.48	9.80	2.18
9/11	231	23.57	9.80	0.47
10/11	875	89.28	9.80	1.78
12/11	685	69.89	9.80	1.39
1/12	531	54.18	9.80	1.08
2/12	868	88.57	9.80	1.77
3/12	1676	171.02	9.80	3.40
12/12 to 3/13	857	87.44	9.80	1.74
	1628	175	9.30	12.20
				27.88

अतः उक्त अधिक प्रयोग किए गए तेल (डीजल) की मांग 264 लीटर बनती है जिसकी कुल कीमत प्रचलित वर्तमान दरों अनुसार ₹10824/— बनती है। अतः लगभग 10कि0मी0/लीटर औसत तेल खपत से कम तेल औसत खपत का औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा ₹10824/— की वसूली उचित स्त्रोत से की जानी सुनिश्चित की जाए। इसके अतिरिक्त यह भी सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में गाड़ियों की औसत तेल खपत का निर्धारण किसी सरकारी मान्यता प्राप्त संस्था से करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा यदि वाहनों की औसत तेल खपत निर्धारित औसत तेल खपत से कम पाई जाए तो तदानुसार अधिक प्रयोग किए गए तेल की कीमत की वसूली वर्तमान दरों के अनुसार की जानी सुनिश्चित की जाए।

22 बिना पूर्व स्वीकृति के वाहन को राज्य के बाहर ले जाने बारेः—

हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या यू0डी0—एच(सी)(10)—9/02—दिनांक 15.9.07 के अनुसार नगर परिषद के वाहन को राज्य के बाहर निदेशक शहरी विकास विभाग की पूर्व अनुमति के बिना नहीं ले जाया जा सकता था। वाहन नम्बर एच0पी09—40—0103 की लॉग बुक की जॉच उपरान्त यह पाया गया कि उक्त वाहन को सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना राज्य से बाहर ले जाया गया था जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः—

दिनांक	यात्रा स्थान	तय की गई दूरी	यात्रा करने वाला अधिकारी/कर्मचारी	लॉग बुक पृ0 सं0
2.10.12 से 6.10.12	कांगड़ा से चण्डीगढ़ एवं वापिस	519कि0मी0	प्रधान व मैम्बार	17

अतः उपरोक्त तय की गई दूरी को सक्षम अधिकारी से कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त कर नियमित किया जाए अन्यथा उक्त यात्राओं को निजि यात्रा मानते हुए ₹3114.00 (519X6=3114) की वसूली सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी से की जानी सुनिश्चित की जाए।

23 गाड़ी नम्बर एचपी—40—8015 की उपयोगिता बारेः—

गाड़ी नम्बर एचपी—40—8015 की लॉग बुक की जांच उपरान्त यह पाया गया कि अंकेक्षण अवधि 4/11 से 3/11 के दौरान उक्त गाड़ी का प्रयोग नहीं किया गया जबकि नगर परिषद को उक्त गाड़ी की Insurance एवं गाड़ी के पर अदा की गई राशि के ऊपर ब्याज के रूप में भुगतान किया जा रहा है। वाहन को उपयोग न करने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए। अतः सुझाव दिया जाता है कि उक्त गाड़ी को नगर परिषद के बिल में उपयोग में लाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

24 लॉग बुक में यात्राओं के उद्देश्य का उल्लेख न करनाः—

गाड़ी नम्बर एचपी—40—8015 की लॉग बुक की जॉच उपरान्त यह पाया गया कि निम्न दिये विवरण अनुसार की गई यात्राओं से सम्बन्धित उद्देश्य का उल्लेख न करने के अभाव में इन यात्राओं की सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकी। इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा इन्हें निजि यात्रा मानते हुये ₹9120/— (1520X6=9120) की वसूली सम्बन्धित अधिकारी से की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना आगामी अंकेक्षण के दौरान दर्शाई जाए।

दिनांक	**यात्रा स्थान**	**तय की गई दूरी**	**यात्रा करने वाला अधिकारी**	**यात्रा का उद्देश्य**	**लॉग बुक पृष्ठ सं0**
10.2.12	कांगड़ा शिमला वापिस	520 कि0मी0	—	नहीं दिया गया	91
17.9.11	—यथोपरि—	492 कि0मी0	ई0ओ0	—यथोपरि—	81
22.6.11	—यथोपरि—	508 कि0मी0	ई0ओ0	—यथोपरि—	75
	कुल दूरी	**1520 कि0मी0**			

25 श्री तिलक राज (बेलदार) को चालक के पद पर पदोन्नत करने के कारण ₹35064 अनियमित व्ययः—

श्री तिलक राज को नगर परिषद द्वारा दिनांक 01.8.2002 को बेलदार के स्वीकृति पद के विरूद्ध दैनिक वेतन भोगी के रूप में नियुक्त किया गया था जिसे परिषद ने बाद में अपने प्रस्ताव संख्या 1115 दिनांक 27.10.05 द्वारा दिनांक 1.1.2006 से चालक के पद पर दैनिक वेतन भोगी के रूप में पदोन्नत कर दिया। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार नगर परिषद में चालक का कोई भी पद स्वीकृत नहीं है तथा न ही तिलक राज की पदोन्नति के सम्बन्ध में निदेशक शहरी विकास विभाग शिमला में स्वीकृति प्राप्त की गई थी। चालक के गैर स्वीकृति पद के विरूद्ध पदोन्नति करने के कारण दिनांक 1.4.2011 से 31.3.2013 तक श्री तिलक राज (बेलदार) को ₹35064.00 की अधिक दिहाड़ी दी गई जिसका पूर्ण विवरण

इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट "I" पर दिया गया है। अतः इस सम्बन्ध में गत अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/07 से 3/11 में भी आपत्ति उठाई गई है। गैर स्वीकृत पद के विरूद्ध की गई पदोन्नति को सक्षम अधिकारी से पद का सृजन करवाकर नियमित किया जाए अन्यथा ₹35064/– का अधिक दिहाड़ी की वसूली उचित स्त्रोत से की जानी सुनिश्चित की जाए।

26 बिना आपैचारिकताएं पूर्ण किए ₹47274/– का व्ययः–

वाऊचर संख्या 48 दिनांक 25.3.2012 के तहत ₹47274/– का भुगतान मै0 राकेश फर्नीचर हाऊस कांगड़ा को उनके बिल संख्या 186 दिनांक 9.2.12 के एवज में निम्न सामान की आपूर्ति हेतु किया गया।

क्र0सं0	सामान का ब्यौरा	मात्रा	दर	राशि
1	पी0वी0सी0 ट्राली	4	8'900	35600
2	डस्टबिन	2	2980	5960
				41560
		सेल्स टैक्स 13.75%		5714
				47274

उपरोक्त सामान की खरीद बारे जांच करने पर निम्नलिखित अनियमितताऐं पाई गईः–

1) उक्त बिल को कार्यकारी अधिकारी द्वारा भुगतान हेतु पारित नहीं करवाया गया यह अनियमित है जिस बारे औचित्य स्पष्ट किया जाये व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर व्यय का नियमित करवाया जाए।

2) उपरोक्त खरीद की खरीद सरकारी उपक्रम Agro Industries से की जानी अपेक्षित थी बिना औपचारिकता पूर्ण किए खुले बाजार से खरीद करने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए।

3) प्रस्ताव संख्या 18 दिनाक 28.7.11 द्वारा प्रस्ताव पारित कर केवल ट्राली लाने हेतु प्रस्ताव पारित किया जबकि डस्टबिन लेने हेतु प्रस्ताव पारित नहीं थे जिस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाये व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

27 सामान्य भविष्य निधि व अग्रिम राशि ₹15000/– की दण्ड ब्याज सहित वसूली न करनाः–

वाऊचर संख्या 51 दिनांक 27.3.13 के तहत ₹15000/– का भुगतान सामान्य भविष्य निधि से अग्रिम राशि के रूप में श्री रविन्द्र कुमार को किया गया था। यह राशि अभी तक सम्बन्धित कर्मचारी से वसूल नहीं की गई है। अतः उपरोक्त राशि की दण्ड ब्याज सहित वसूली पर सामान्य भविष्य निधि में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाये।

28 स्टॉक रजिस्टर में 7 नं0 सी0एफ0एल0 85 वॉट बल्ब कम दर्शानाः–

स्टॉक रजिस्टर पेज संख्या 33 व रजिस्टर नं0 10 की जांच पर पाया गया कि सी0एफ0एल0 85 वॉट बल्ब का दिनांक 9.12.11 को अन्तशेष 19 था जबकि दिनांक 9.12.11 को एक बल्ब जारी किया गया व अन्तशेष 18 होना चाहिए जबकि अन्तशेष 11 दर्शाया गया अर्थात 7 सी0एफ0एल0 85 वॉट बल्ब अन्तशेष से अधिक खारिज किये गये जिस बारे औचित्य स्पष्ट किया जाये व स्टॉक प्रविष्टियों का शुद्धिकरण किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

29 प्रत्यक्ष सत्यापन न करवाने बारे :–

अंकेक्षण अवधि के दौरान यह पाया गया कि भण्डार में पड़े सामान का प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं करवाया गया था जबकि नगर पालिका लेखा संहिता 1975 के नियम 22 के अनुसार समस्त परिसम्पतियों का सत्यापन करवाया जाना अपेक्षित था। अतः नियम 244 के अनुसार भण्डार में पड़े सामान का प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा की गई कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

30 **लघु आपत्ति विवरणिका :—** यह अलग से जारी नहीं की गई है।

31 **निष्कर्ष :—** लेखाओं के उचित अनुरक्षण में और सुधार की आवश्यकता है वर्षों से लम्बित पड़े अनिर्णीत पैरों के निस्तारण हेतु विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

हस्ता/—
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश शिमला—171009.

पृष्ठांकन संख्या :— V(5)-फिन(एल0ए0)—खण्ड—4—8—9— दिनांक, 01.01.2014 शिमला—171009,
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. निदेशक शहरी विकास, हिमाचल प्रदेश शिमला—171002.

पंजीकृत : 2. कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद कांगड़ा, जिला कांगड़ा (हिमाचल प्रदेश) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में उठाई गई आपत्तियों का सटिप्पण उतर प्रतिवेदन जारी होने से एक माह के भीतर इस विभाग को प्रेषित करें।

हस्ता/—
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश शिमला—171009.

परिशिष्ट "A"

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/80 से 3/82

1	पैरा–16 (ए)	श्री विशम्बर दास, हैड कर्लक को वेतन का अधिक भुगतान किया गया है, की वसूली हेतु।	अनिर्णीत
2	पैरा–16 (बी)	–यथोपरि–	अनिर्णीत

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/88 से 3/90

1	पैरा–15 (छ)	श्री जे0एन0 नाग ठेकेदार को अधिक दर पर भुगतान करने बारे।	अनिर्णीत
2	पैरा–15 (ब)	भण्डार रजिस्टर में सामान की खपत व शेष सामान की तुलना न हो पाना	अनिर्णीत
3	पैरा–17 (ञ)	अग्रिम राशि को वसूलने व एडजस्टमैन्ट करने बारे।	अनिर्णीत

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/90 से 3/92

1	पैरा–22 (च)	बिजली के बिल व रसीदें, वाऊचर के साथ संलग्न न होना।	अनिर्णीत
2	पैरा–30	विद्युत विभाग को स्ट्रीट लाईट प्वाईंट लगाने हेतु धन राशि दी गई थी, उसके वास्तविक व्यय की जानकारी उपलब्ध न करवाने बारे।	अनिर्णीत
3	पैरा–37	भवन निर्माण कार्य हेतु ईन्ट, सरीया क्रय किया गया की खपत व माप पुस्तिका में ईन्द्राज व कार्य पंजिका दर्शाने बारे।	अनिर्णीत

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/92 से 3/96

1	पैरा–5 (1)	अनुदान राशि का अधिक व्यय किये जाने बारे।	अनिर्णीत
2	पैरा–6 (4)	गृहकर की वसूली नियमित रूप से न किये जाने बारे।	अनिर्णीत
3	पैरा–7 (2)	किराये की वसूली arrear of land revenue act के अन्तर्गत वसूल करने बारे।	अनिर्णीत
4	पैरा–7 (3)	किरायेदारों से किराया वसूल करने बारे।	अनिर्णीत

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/96 से 3/2007

1	पैरा–2 (ग)	लेखा परीक्षाधीन अवधि के दौरान सावधि जमा राशियों की अवधि पूर्ण होने पर बैंकों द्वारा ब्याज राशि कम दिये जाने पर नगर परिषद को ₹46180/– की हानि बारे।	अनिर्णीत
2	पैरा–3 (क) (1 से 5)	लेखा परीक्षाधीन अवधि के दौरान प्राप्त सरकारी अनुदान को सरकार की शर्तों अनुसार खर्च न करने बारे।	अनिर्णीत
3	पैरा–3 (ख) (1 से 5)	पूर्व वर्ती अवधि के दौरान प्राप्त सरकारी अनुदान	अनिर्णीत
4	पैरा–3 (घ)	गृह नाम पटिटका के विरूद्ध ₹21750/– की शेष देय राशि वसूल करने बारे।	अनिर्णीत
5	पैरा–4 (3)	गृहकर की गत शेष की ₹660/– की कम मांग व वसूली बारे।	अनिर्णीत
6	पैरा–4 (3) (क)	गृहकर की वर्षवार वसूली में विशेष प्राप्ति न होना।	अनिर्णीत
7	पैरा–4 (3) (ख)	गृहकर प्राप्ति में दी गई अनियमित छूट ₹268181/– की वसूली बारे।	अनिर्णीत

8	पैरा–4 (3) (ग)	गृहकर की दर 7.5 प्रतिशत से 12.5 प्रतिशत न बढ़ाने पर सरकार के आदेशों का उल्लघंना करके ₹2805843/–की राशि की हानि	अनिर्णीत
9	पैरा–4 (4)	नगर परिषद के भवनों/दुकानों स्टालों तथा अन्य परिसरों के किराये के सम्बन्ध में।	अनिर्णीत
10	पैरा–4 (4) (ङ)	निलामी की शतों के अनुसार किराये की राशि में बढ़ौतरी न करने के फलस्वरूप ₹213606/– की राशि नगर परिषद को हानी।	अनिर्णीत
11	पैरा–4 (4) (ज)	प्रैस क्लब को मात्र ₹1 किराये पर प्रति मास नगर परिषद द्वारा अपनी सम्पत्ति आंबटित करने में अनियमितता।	अनिर्णीत
12	पैरा–4 (4) (ट)	मै0 कावासा की एडवरटाईजमैन्ट शिमला से विज्ञापन शुल्क के रूप में ₹13072/– की राशि की वसूली न करना।	अनिर्णीत
13	पैरा–4 (4) (ठ)	श्री कमलेश सगोत्रा, धर्मशाला से विज्ञापन शुल्क के रूप में ₹18750/– की राशि की वसूली न करना।	अनिर्णीत
14	पैरा–4 (6)	श्रीमती कमलेश कुमारी से 2 प्रतिशत स्टैंप डयूटी में ₹5676/– की कम वसूली करना।	अनिर्णीत
15	पैरा–4 (7)	स्टैंप डयूटी में ₹112079/– की कम वसूली करने बारे।	अनिर्णीत
16	पैरा–4 (9)	अवैध भवनों को कम्पाऊंड व शुल्क जमा करवाने बारे।	अनिर्णीत
17	पैरा–4 (11) (क)	रोड़ कटिंग चार्जिज में ₹11485/– की	अनिर्णीत

		राशि वसूल न करने बारे।	
18	पैरा–4 (11) (ख)	रोड कटिंग चार्जिज में ₹84117/– की राशि वसूल न करने बारे।	अनिर्णीत
19	पैरा–4 (12) (क)	टोल टैक्स में ₹26000/– बकाया के रूप में वसूल न करने बारे।	अनिर्णीत
20	पैरा–4 (12) (ख)	टोल टैक्स में ₹2559/– विलम्ब ब्याज के रूप में वसूल न करने बारे।	अनिर्णीत
21	पैरा–4 (12) (ग)	टोल टैक्स में ₹447551/– विलम्ब ब्याज के रूप में वसूल न करने बारे।	अनिर्णीत
22	पैरा–4 (14)	लिक्चर कर व विद्युत उपयोग कर के सम्बन्ध में विस्तरित जानकारी का न होना।	अनिर्णीत
23	पैरा–4 (15)	लाईसैन्सों की मात्रा में गत वर्ष की तुलना में कमी आना।	अनिर्णीत
24	पैरा–5 (1)	अस्वीकृत पदों के विरूद्ध दैनिक भोगियों की नियुक्ति व बजट प्रावधान से अधिक व्यय।	अनिर्णीत
25	पैरा–5 (4)	श्री दर्शन लाल गुप्ता, कार्यकारी अधिकारी सेवा निवृत से ₹36320/– की राशि छुटटी की राशि भुनाने पर अधिक भुगतान व वसूली न करने में अनियमिता।	अनिर्णीत
26	पैरा–5 (5)	श्री दर्शन लाल गुप्ता, कार्यकारी आहरण सेवा निवृत द्वारा अधिक वेतन आहरण के कारण ₹23717/– की मूल वेतन व अन्य वेतन भत्ते के रूप में अधिक भुगतान की वसूली के बारे में।	अनिर्णीत
27	पैरा–5 (6)	अंशकालीन कमी को देय अवकाश की अनियमित अदायगी ₹838/– की वसूली बारे।	अनिर्णीत

28	पैरा–5 (9)	बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के सफाई कार्य हेतु मजदूरों का रखा जाना।	अनिर्णीत
29	पैरा–5 (10)	दिहाड़ी पर नियुक्त किये गये कर्मचारियों के स्वीकृति के सन्दर्भ में।	अनिर्णीत
30	पैरा–5 (11)	दिहाड़ी पर नियुक्त किये गये कनिष्ठ अभियन्ता की स्वीकृति के सन्दर्भ में।	अनिर्णीत
31	पैरा–5 (16)	श्री रत्न चन्द सेनेटरी बेलदार को ₹721/– का अनियमित भुगतान	अनिर्णीत
32	पैरा–6 (1)	व्यय को हाऊस से मद वार अनुमोदन करवाने की अपेक्षा इक्टठा ही अनुमोदन करवाना।	अनिर्णीत
33	पैरा–6 (2) (क)	बिजली के सामान खरीदने में अनियमितता।	निर्णीत (कार्यवाही प्रमाण पत्र देख लिया है)
34	पैरा–6 (2) (ख)	–यथोपरि–	निर्णीत (कार्यवाही देख ली प्रस्ताव संख्या 1001 दिनांक 28.4.05)
35	पैरा–6 (3)	स्ट्रीट लाईट व बिजली के सामान के रजिस्टरों में शेष निकालते समय ₹19983/– की कमी बारे।	निर्णीत (₹2771/– की वसूली जी–8 संख्या 46 दिनांक 2.1.2012 द्वारा की गई है)
36	पैरा–6 (4)	वाऊचर संख्या 31 दिनांक 9.4.96 राशि ₹14798/– की अदायगी बिना स्वीकृति प्राप्त किये करना।	अनिर्णीत
37	पैरा–6 (5)	विभिन्न भुगतानों में पाई गई अनियमितता के सन्दर्भ में।	अनिर्णीत
38	पैरा–6 (6)	बिजली के बिलों में बकाया अनियमित भुगतान ₹14430/– बारे।	अनिर्णीत
39	पैरा–6 (7)	वास्तविक प्राप्ति रसीदें प्राप्त न करना।	अनिर्णीत
40	पैरा–6 (8)	अध्यक्ष के दूरभाष व्यय का अनियमित	अनिर्णीत

		भुगतान।	
41	पैरा–6 (9)	नगर परिषद निधि पर व्ययों का उचित प्रभार न होने के सन्दर्भ में।	अनिर्णीत
42	पैरा–6 (11)	₹647/– आय कर व बिक्री कर जमा न करवाने बारे।	अनिर्णीत
43	पैरा–6 (12)	बिना निविदायें आमंत्रित तथा आवश्यक औपचारिकतायें पूर्ण किये सामान क्रय करने बारे।	अनिर्णीत
44	पैरा–6 (13)	कम्पयूटर खरीद करने पर अनियमितता बारे।	अनिर्णीत
45	पैरा–6 (14)	कार्यालय के टेलीफोन संख्या 265035 में EPABxSYSTEM लगवाने में अनियमितता बारे।	अनिर्णीत
46	पैरा–6 (15)	सोलिड वेस्ट मैनेजमैनट में प्रोजेक्ट रिपैंट बनाने हेतु सरकार की स्वीकृति प्राप्त न करना।	अनिर्णीत
47	पैरा–6 (16)	हाऊसिंह बोर्ड से कार्यकारी अधिकारी निवास हेतु मकान की खरीद करना।	अनिर्णीत
48	पैरा–6 (17)	रा0व0मा0पा0 के कमरों का निर्माण परिषद द्वारा न करवाकर जिलाधीश के आदेशों के विपरीत प्रधानाचार्य से करवाना।	अनिर्णीत
49	पैरा–6 (18)	जयसिद्ध बाबा बालक नाथ मन्दिर में सराय का निर्माण परिषद द्वारा न करवा कर जिलाधीश के आदेशों के विपरीत प्रधान जयसिद्ध बाबा बालक नाथ से करवाना।	अनिर्णीत
50	पैरा–6 (19)	जिला प्रैस क्लब कांगड़ा को ₹325000/– की राशि का अनियमित भुगतान करने बारे।	अनिर्णीत
51	पैरा–6 (20)	₹1640/– आयकर व बिक्री कर जमा न	अनिर्णीत

		करवानें बारे।	
52	पैरा–6 (21)	विरभद्र व शिवाला महादेव में सेप्टिक टैंक व टायलैट का निर्माण कार्य नगर परिषद द्वारा न करके ट्रस्ट द्वारा करवाया गया अपितु उपयोगिता प्रमाण पत्र नगर परिषद द्वारा भेजा गया, के प्रति।	अनिर्णीत
53	पैरा–6 (22)	भूमिक्रय करने हेतु हिमाचल प्रदेश सरकार से स्वीकृति प्राप्त न करने में अनियमितता।	अनिर्णीत
54	पैरा–6 (23)	बिना प्रस्ताव पारित किये श्री महेश दत शर्मा, कार्यकारी अधिकारी को कांगड़ा से पालमपुर जाने के लिए डीजल चार्जिज का भुगतान करने बारे।	अनिर्णीत
55	पैरा–6 (24)	सेवा निवृति कर्मचारियों को दिए गए सामान को वापिस मूल्य की वसूली न किए जाने बारे।	अनिर्णीत
56	पैरा–7 (1)	श्री बतन कुमार ठेकेदार द्वारा डुंगा बाजार टायलट निर्माण किया गया, जिसका इन्द्राज माप पुस्तिका में प्रविष्टियॉ तकनीकी अधिकारी द्वारा चैक न करवाने बारे।	अनिर्णीत
57	पैरा–7 (2)	सोलिड वेस्ट मैनेजमैन्ट प्रोजेक्ट मे ंखुदाई व कटान हेतु गलत गणना के कारण ₹20610/– का अधिक भुगतान की वसूली बारे।	अनिर्णीत
58	पैरा–7 (3)	₹3523/– आयकर व बिक्री कर जमा न करवाने बारे।	अनिर्णीत
59	पैरा–7 (4)	₹5412/– आयकर व बिक्री कर जमा न करवाने बारे।	अनिर्णीत
60	पैरा–7 (5)	बाल्मिकी मोहल्ला में सामुदायिक हाल के	अनिर्णीत

		निर्माण कार्य हेतु प्राकलन तैयार न करना व गलियों के निर्माण में शडयूल रेट में विविधता का होने बारे।	
61	पैरा–7 (6)	एक ही समय में चार ठेकेदारों को अलग–2 शडयूल रेटों पर कार्य आंबटित करने बारे।	अनिर्णीत
62	पैरा–7 (7)	वाऊचर संख्या 39 दिनांक 20.4.99 में गलत गणना के कारण ₹13899/– का अधिक भुगतान	अनिर्णीत
63	पैरा–7 (8)	गलत शडयूल रेट लगाने के कारण ₹3888/– एवं ₹3095/– का अधिक भुगतान।	अनिर्णीत
64	पैरा–7 (9)	श्री पंकज परवाण ठेकेदार द्वारा नाली निर्माण के प्राकलन में तकनीकी स्वीकृति प्राप्त न करना व शडयूल रेट गलत निर्धारित करने बारे।	अनिर्णीत
65	पैरा–7 (10)	श्री पंकज परवाणू को नाली के निर्माण करने हेतु ₹825/– एवं ₹518/– का अधिक भुगतान	अनिर्णीत
66	पैरा–7 (11)	गुप्त गंगा के पास रिटेनिंग वाल के निर्माण कार्य के लिए ₹13531/– का अधिक भुगतान बारे।	अनिर्णीत
67	पैरा–7 (12)	न्यायिक परिसर में शैड निर्माण के लिए सार्वजनिक निविदा के स्थान पर लेबर रेट पर कुटेशन आमन्त्रित करने बारे।	अनिर्णीत
68	पैरा–7 (13) (1)	₹5500000/– को खर्च का अभिलेख न बनाने बारे।	अनिर्णीत
69	पैरा–7 (13) (2)	विकास कार्य में रिटैनिंग वाल व भूमि	अनिर्णीत

		कटान हेतु बनाये गए प्राकलन में कटिंग कार्य में कोई काम के पत्थर न होन से ठेकेदार को अनुचित लाभ पहंचाने बारे।	
70	पैरा–7 (13) (3)	शडयूल रेट से अधिक दर से ठेकेदार को अधिक लाभ पहुंचाने बारे।	अनिर्णीत
71	पैरा–7 (13) (4)	भूमि कटान के कार्य में ठेकेदार को ₹8397/– के अधिक भुगतान बारे।	अनिर्णीत
72	पैरा–7 (13) (5)	सीमेन्ट जो जारी किया गया था उसमें शेष बची बोरियों की वापिसी सुनिश्चित न करने के कारण ₹7120/– की हानि।	अनिर्णीत
73	पैरा–7 (13) (6)	2 प्रतिशत विक्रय कर के रूप में कम वसूली ₹2599/– की हानि बारे।	अनिर्णीत
74	पैरा–7 (13) (7)	2.2 प्रतिशत आय की ₹3936/– की कम वसूली।	अनिर्णीत
75	पैरा–7 (13) (8)	निर्धारित सीमेन्ट की खपत से कम खपत करने बारे।	अनिर्णीत
76	पैरा–7 (14)	न0प0 निर्माण कार्यों को मस्टरोलो पर कार्य निष्पादन करने पर कम मूल्य आंकलन करने से ₹96261/– की होनी।	अनिर्णीत
77	पैरा–7 (14) (1)	आयकर के रूप में ₹11412/– की कम कटौती करने बारे।	अनिर्णीत
78	पैरा–7 (15)	मस्टरोलों पर किये गए निर्माण कार्यो की प्रगति प्रोग्रेस न निकालने बारे।	अनिर्णीत
79	पैरा–7 (16)	NRY के अन्तर्गत फर्नीचर व अन्य सामान की खरीद करने के कारण ₹94301/– का गलत उपयोग करने बारे।	अनिर्णीत
80	पैरा–7 (17)	पौलिटैक्निक परिसर के पास नाली के निर्माण कार्य में ठेकेदार को ₹2686/– के	अनिर्णीत

		अधिक भुगतान बारे।	
81	पैरा–7 (18)	सोलिड वेस्ट मेनेजमैन्ट परियोजना के अन्तर्गत 22 नं0 वैटरी के निर्माण कार्य में अनियमितता बारे।	अनिर्णीत
82	पैरा–7 (18) (1)	ठेकेदार से पंजीकरण सम्बन्धित कागजात प्राप्त न करके निदेशालय के आदेशों की अवहेलना करने बारे।	अनिर्णीत
83	पैरा–7 (18) (2)	निर्माण कार्य के निपादन में गलत दर स्वीकृत करने पर ₹11188.00 का अधिक भुगतान बारे।	अनिर्णीत
84	पैरा–7 (18) (3)	स्टील की मद के निष्पादन में गलत गणना के कारण ₹18821.00 के अधिक भुगतान बारे।	अनिर्णीत
85	पैरा–7 (18) (4)	स्टील की मद के निष्पादन में अधक व गलत दर लगाने के फलस्वरूप ₹22586.64 के अधिक भुगतान बारे।	अनिर्णीत
86	पैरा–7 (18) (5)	स्टील व सीमेन्ट की उपयोगिता में विविधता।	अनिर्णीत
87	पैरा–7 (19) (1 से 5)	SWMP के प्लेटफार्म के निर्माण कार्ये के निष्पादन में अनियिमतता।	अनिर्णीत
88	पैरा–7 (20) 1 से 3	माता श्री ब्रजेश्वरी देवी मन्दिर को लिंक मार्ग चर्च तक के निर्माण कार्य के निष्पादन में अनियमितता।	अनिर्णीत
89	पैरा–7 (21)	मिशन मार्ग कांगड़ा में लवलिंग कार्य के लिये जे0सी0वी0 मशीन के बिल के रूप में ठेकेदार को ₹4763/– का अधिक भुगतान बारे।	अनिर्णीत
90	पैरा–7 (22) (1)	टैण्डर कार्य में प्रीमियम दर से अधिक दरें	अनिर्णीत

		निर्धारित करके ₹59172/– का अधिक भुगतान करने बारे।	
91	पैरा–7 (22) (2)	Subsitute मद का अधिक दर पर भुगतान करने से ₹14062/– का अधिक भुगतान करने बारे।	अनिर्णीत
92	पैरा–7 (22) (3)	अतिरिक्त मद का बाजार दर से अधिक दर पर भुगतान के परिणामस्वरूप ₹200/– का अधिक भुगतान बारे।	अनिर्णीत
93	पैरा–7 (22) (4)	अतिरिक्त मद हेतु ₹8988/– का अधिक भुगतान करने बारे।	अनिर्णीत
94	पैरा–7 (22) (5)	Negotiated मदों की दरों को विकृत करके बढ़ाने बारे।	अनिर्णीत
95	पैरा–7 (22) (6)	विलम्ब कार्य करने हेतु दण्ड वसूल न करने बारे।	अनिर्णीत
96	पैरा–7 (22) (7)	बिना अनुबन्ध के निर्माण कार्य का आंबटन करने बारे।	अनिर्णीत
97	पैरा–7 (22) (8)	सीमेन्ट स्टील की आपूर्ति विभागीय तौर पर न करने बारे।	
98	पैरा–7 (22) (9)	बिना तकनीकी स्वीकृति व प्राकलन से निर्माण कार्य के निष्पादन बारे।	अनिर्णीत
99	पैरा–7 (22) (10)	टैण्डर दरों में जस्टीफिकेशन तैयार न करने बारे।	अनिर्णीत
100	पैरा–7 (23) (1 से 4)	बिना टैण्डर कुटेशन कार्य करना, वर्क रजिस्टर तैयार न करना व ₹570/– का अधिक भुगतान।	अनिर्णीत
101	पैरा–7 (24)	वार्ड नं0 05 में अग्रवाल के घर के रास्ते के निर्माण कार्य में अनियमितता।	अनिर्णीत
102	पैरा–7 (24) (1)	निर्माण कार्य में तकनीकी स्वीकृति प्राप्त न	अनिर्णीत

		करने बारे।	
103	पैरा–7 (24) (2)	ठेकेदार को प्रोवाडिंग एण्ड लेईंग सीमेन्ट कन्करीट की मद में ₹1324/– का अधिक भुगतान	अनिर्णीत
104	पैरा–7 (25)	रैहन बसेरा भवन के निष्पादन कार्य में अनियमितता।	अनिर्णीत
105	पैरा–7 (25) (1)	रैहन बसेरा के लिए प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति सरकार से प्राप्त न करने बारे।	अनिर्णीत
106	पैरा–7 (25) (2)	निर्माण कार्य के निष्पादन के लिए अधिक दरें स्वीकृत करने में	अनिर्णीत
107	पैरा–7 (25) (3)	सीमेन्ट व स्टील के उपयोग हेतु अभिलेख तैयार न करने बारे।	अनिर्णीत
108	पैरा–7 (26)	टैण्डर बिक्री आय की वसूली में अनियमितता।	अनिर्णीत
109	पैरा–7 (27)	ठेकेदारों से आयकर बिक्री कर के रूप में ₹10368/– की राशि की कटौती न करने बारे।	अनिर्णीत
110	पैरा–7 (28)	निर्माण कार्य सामग्री का क्रय व रख रखाव में अनियमितता।	अनिर्णीत
111	पैरा–7 (28) (क)	सामुदायिक शौचालय के लिए सैनेटरी फिटिंग की खरीद पर राशि ₹516/– के भुगतान में अनियमिता।	अनिर्णीत
112	पैरा–7 (28) (ख)	लोहे की ग्रिल की आपूर्ति हेतु ₹629/– का अधिक भुगतान।	अनिर्णीत
113	पैरा–7 (28) (ग)	डुप्लीकेट बिलो ंपर सत्यापित किए बिना भुगतान करने बारे।	अनिर्णीत
114	पैरा–7 (28) (घ)	खुले बाजार से सीमेन्ट की खरीद में अनियमितता।	अनिर्णीत

115	पैरा–7 (28) (ङ)	ईंटों की खरीद की प्रविष्टि स्टॉक रजिस्टर/एम0एस0 में न दिखाना।	अनिर्णीत
116	पैरा–7 (28) (च)	रेता, बजरी व पत्थर की खरीद की प्रविष्टि स्टॉक रजिस्टर एवं एम0एस0 में न दिखाना।	अनिर्णीत
117	पैरा–7 (28) (छ)	टायलों खरीद पर ₹21600/– की राशि का संदिग्ध भुगतान।	अनिर्णीत
118	पैरा–7 (28) (ज)	लोहे के गेट के निर्माण में अनियमितता।	अनिर्णीत
119	पैरा–7 (28) (झ)	राशि ₹62458/– के मूल्य की निर्माण कार्य सामग्री की एम0एस0 में प्रविष्टि न दिखाना और न ही उपयोग दिखाना।	अनिर्णीत
120	पैरा–7 (28) (ञ)	निर्माण कार्य सामग्री आपूर्ति करने वाले ठेकेदारों से ₹1893/– की राशि की आयकर की कटौती न करना।	अनिर्णीत
121	पैरा–7 (28) (ट)	ठेकेदारो ंसे सीमेन्ट की आपूर्ति हेतु कम कटौती करने में ₹3163/– की राशि की वसूली के सम्बन्ध में।	अनिर्णीत
122	पैरा–7 (28) (ठ)	सीमेन्ट स्टॉक रजिस्टर में 9 बोरी की कमी के सम्बन्ध में।	अनिर्णीत
123	पैरा–7 (29)	नगर परिषद के स्टॉक व सम्पत्तियों के सत्यापन के सम्बन्ध में।	अनिर्णीत
124	पैरा–7 (30)	स्वर्ण जयन्ती शहरी स्वरोजगार योजना के कार्यानवयन में ₹1662197.50 की राशि का दुरूपयोग व गम्भीर अनियमितताए।	अनिर्णीत
125	पैरा–7 (31)	शुष्क शैचालयों को पानी के बहाव में परिवर्तन करने पर दिये गए अनुदान राशि ₹1392900/– के आंबटन में अनियमितता।	अनिर्णीत

126	पैरा–7 (31) (क)	बिना लाभार्थियों को भुगतान करने पर अनियमितता।	अनिर्णीत
127	पैरा–7 (31) (ख)	कनिष्ठ अभियन्ता की रिपोर्ट में संदिग्धता।	अनिर्णीत
128	पैरा–7 (31) (ग)	अनुदान राशि के भुगतान हेतु बीअरर चैक जारी करने के सम्बन्ध में।	अनिर्णीत
129	पैरा–7 (31) (घ)	वास्तविक पावती मौजूद न होने के सन्दर्भ में।	अनिर्णीत
130	पैरा–7 (31) (ङ)	स्वीकृति के अनुसार सम्बन्धित लाभार्थियों की अनुदान के भुगतान न करने में अनियमितता।	अनिर्णीत
131	पैरा–7 (31) (च)	अनुदान उपयोग प्रमाण पत्र जारी करने में अनियमितता।	अनिर्णीत
132	पैरा–8 (1)	महिन्द्रा पिकअप वैन की खरीद में अनियमितता।	अनिर्णीत
133	पैरा–8 (2)	सरकार की स्वीकृति के बिना थ्री–व्हीलर की खरीद बारे।	अनिर्णीत
134	पैरा–8 (13	वाहनों की लॉग बुक के रख रखाव के सम्बन्ध में।	अनिर्णीत
135	पैरा–8 (4)	थ्री व्हीलर एच0पी0 40–4433 की नीलामी बारे।	अनिर्णीत
136	पैरा–8 (5)	ट्रैक्टर एस0आई0के0 5306 की नीलामी के बारे।	अनिर्णीत
137	पैरा–8 (6)	पुराने वाटर टैंक की नीलामी के सम्बन्ध में	अनिर्णीत
138	पैरा–8 (7)	वाहन एच0पी0 40–5035 की मुरम्मत में अनियमितता	अनिर्णीत
139	पैरा–8 (7)	–यथोपरि–	अनिर्णीत
140	पैरा–8 (8)	वाहन क्रमांक एच0पी0 68–0165 गाड़ी के कम उपयोग बारे।	अनिर्णीत
141	पैरा–8 (9)	गाड़ियों द्वारा सीमा से बाहर जाने पर	अनिर्णीत

		सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त न करना।	
142	पैरा—10 (2)	हि0प्र0 नगरपालिका कर्मचारी पैन्शन उपदान तथा भविष्य निधि का रख रखाव बारे।	अनिर्णीत
143	पैरा—10 (3)	पैन्शन निधि व अनुदान निधि में कम जमा करवाने बारे।	अनिर्णीत

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2007 से 3/2011

1	पैरा—3	वित्तीय स्थिति बारे।	अनिर्णीत
2	पैरा—3.1	रोकड़ वही का रख—रखाव ढ़ंग से नहीं करने बारे।	अनिर्णीत
3	पैरा—3.2	बैंक खातों के रख रखाव के बारे में।	अनिर्णीत
4	पैरा—4.1	सावधि जमा राशियों पर बैंकों द्वारा राशि ₹0.05 लाख का कम ब्याज दिए जाने बारे।	अनिर्णीत
5	पैरा—4.2	निवेश रजिस्टर न लगाने बारे।	अनिर्णीत
6	पैरा—5.1	अवधि 3/07 से पूर्व मे ंप्राप्त अनुदान राशि ₹16. 08 लाख व्यय हेतु शेष	अनिर्णीत
7	पैरा—5.1	वर्तमान अंकेक्षण अवधि के दौरान प्राप्त अनुदान राशियों बारे।	अनिर्णीत
8	पैरा—5.2.1	अनुदान राशियों 198.26 लाख के उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी न करना।	अनिर्णीत
9	पैरा—5.2.2	शेष राशि ₹6.22 लाख को सम्बन्धित विभागों को वापिस न लौटाने बारे।	अनिर्णीत
10	पैरा—5.2.3	अनुदान राशियों में 33.02 लाख का उपयोग न करने बारे।	अनिर्णीत
11	पैरा—6.1	अपने स्त्रोतों से प्राप्त आय बारे।	अनिर्णीत
12	पैरा—6.2	दिनांक 31.3.2011 तक 41.70 लाख की वसूली करना शेष	अनिर्णीत
13	पैरा—6.3	गृहकर की नई निर्धारण सूची तैयार न करना।	अनिर्णीत

14	पैरा–6.4	गृहकर की बकाया राशि पर 10 प्रतिशत की दर से सरचार्ज न लगाने से 3.17 लाख की हानि।	अनिर्णीत
15	पैरा–6.5	निर्धारित दरो पर गृहकर की मांग न करने के कारण राशि 3.55 लाख कर वित्तीय हानि।	अनिर्णीत
16	पैरा–6.6	दुकानदारो/प्लाट धारकों/कमरें एवं भवन धारकों के साथ अनुबन्ध न करने बारे।	अनिर्णीत
17	पैरा–6.7	टरेड टैक्स की वसूली न करने के कारण राशि ₹1.18 लाख की हानि बारे।	अनिर्णीत
18	पैरा–6.8	त्हबाजारी की राशि 0.19 लाख की कम प्राप्ति।	अनिर्णीत
19	पैरा–6.9	सैनिटेशन डोनेशन के रूप मे ंराशि .22 लाख की कम प्राप्ति	अनिर्णीत
20	पैरा–7	बजट प्रावधान से राशि 38.01 लाख का अधिक व्यय करने बारे।	अनिर्णीत
21	पैरा–7.1	श्री मुनीष कुमार, बेलदार को स्वीकृत दैनिक दरो ंसे अधिक दरों के भुगतान करने पर राशि ₹0.12 लाख की वसूली।	निर्णीत (वसूली देख ली जोकि विभिन्न वेतन बिलों के माध्यम से की गई)
22	पैरा–7.2	श्री प्रदीप कुमार बेलदार को स्वीकृत दैनिक दरों से अधिक दरों के भुगतान करने पर राशि ₹0.41 लाख की वसूली।	अनिर्णीत
23	पैरा–7.3	श्री तिलक राज बेलदार को चालक के पद पर पदोन्नत करने के कारण ₹0.65 लाख की वित्तीय हानि बारे।	अनिर्णीत
24	पैरा–7.4	गलत वेतन निर्धारण के कारण राशि ₹0.82 लाख के अधिक भुगतान बारे।	निर्णीत (अशंतः) क्रम संख्या 2,4,5,6,7,8,9 व 10 की वसूली देख ली है।
25	पैरा–7.5	स्थापना पर निर्धारित माप दण्डों से अधिक व्यय करने के कारण ₹78.71 लाख का अनियमित व्यय।	अनिर्णीत

26	पैरा–7.6	बिना पदों की स्वीकृति के दैनिक वेतन भोगियों को नियुक्त करना।	अनिर्णीत
27	पैरा–8	सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना सफाई कार्य हेतु मजदूरों कोरखने से राशि ₹0.39 लाख का अनियमित भुगतान बारे।	अनिर्णीत
28	पैरा–8.1	पटवारी हल्का कांगड़ा को मानदेय के रूप में राशि ₹0.12 लाख का अनियमित भुगतान।	अनिर्णीत
29	पैरा–8.2	मोबाईल चार्जिज के रूप में ₹5600/– के अनियमित भुगतान बारे।	अनिर्णीत
30	पैरा–8.3	बिना जी0आर0 के ₹735/– के भुगतान बारे।	अनिर्णीत
31	पैरा–8.4	लाइसैन्स फीस राशि ₹228/– की वेतन बिलों से कटौती न करना।	अनिर्णीत
32	पैरा–8.5	डीजल हेतु ₹338/– के भुगतान बारे।	अनिर्णीत
33	पैरा–8.6	निर्धारित तिथि के उपरान्त समाचार पत्रों में विज्ञापन के प्रकाशन ₹5677/– का अनियमित अनुपयोगी भुगतान।	निर्णीत (अंशतः) (राशि ₹2957/– वाउचर संख्या 34 दिनांक 16.3.13 द्वारा वसूल किये गये)
34	पैरा–8.7	टैण्डर फार्म की बिक्री पर ₹200/– की राशि कम प्राप्त करना।	निर्णीत (कार्यवाही देख ली है)
35	पैरा–8.8	विद्युत बोर्ड कांगड़ा को राशि ₹0.19 लाख का अधिक भुगतान।	निर्णीत (कार्यवाही देख ली है)
36	पैरा–9	विभागीय मजदूरों को बिना कार्य करवाये राशि ₹19.64 लाख का अनुचित भुगतान।	अनिर्णीत
37	पैरा–9.1	स्टॉक से सीमेन्ट को जारी करने बारे।	अनिर्णीत
38	पैरा–9.2	सीमेन्ट/स्टील की आपूर्ति विभागीय तौर पर न करना।	अनिर्णीत
39	पैरा–9.3	संविदाकार के बिलों से जल प्रभार की कटौती न करने के कारण राशि ₹0.77 लाख की हानि	अनिर्णीत

		बारे।	
40	पैरा—9.4	दरों की जस्टीफिकेशन तैयार किए बिना कार्यो का आंबटन	अनिर्णीत
41	पैरा—9.5	बिना तकनीकी स्वीकृति के राशि ₹16.39 लाख के निर्माण कार्यो को आंबटित करना।	अनिर्णीत
42	पैरा—9.6	तकनीकी स्वीकृति कर राशि से 8.79 लाख से अधिक के लिए कार्य का आंबटन।	अनिर्णीत
43	पैरा—9.7 (9.7.1 से 9.7.7)	गलत गणना के कारण विभिन्न ठेकेदारों को राशि ₹50340/— का अधिक भुगतान करना।	
44	पैरा—9.8 (9.9., 9.9.1)	राशि ₹4.82 लाख के अतिरिक्त कार्य हेतु संशोधित प्राकलन तैयार न करना।	अनिर्णीत
45	पैरा—9.10	खोखो के निर्माण में अनियमिताऐं।	अनिर्णीत
46	पैरा—9.11	अभिलेख उपलब्ध न करवाने बारे।	अनिर्णीत
47	पैरा—10	सामान्य भविष्य निधि एवं उपदान/पैन्शन/अंशदायी पैन्शन।	अनिर्णीत
48	पैरा—10.1	अंशदायी पैन्शन निधि का सामान्य भविष्य निधि खाता से अलग करने बारे।	अनिर्णीत
49	पैरा—10.2	न0प0 द्वारा श्रीमती सरोज बाला के अंशदायी पैन्शन निधि में .23 लाख की राशि का अंशदान न करने बारे।	अनिर्णीत
50	पैरा—10.3	मंहगाई भत्ता/अन्तरित राहत की बकाया राशि को अशंदायी पैन्शन निधि में जमा करने बारे।	अनिर्णीत
51	पैरा—10.4	अंशदायी पैन्शन निधि से श्रीमती सरोजबाला को ₹15000/— की राशि withdrawl के रूप में देने बारे।	निर्णीत (₹15000/— विभिन्न वेतन बिलों के माध्यम से वसूल की गई व कार्यवाही देख ली है)
52	पैरा—10.5	बजट में अनुमानित आय का 1 प्रतिशत बराबर शेयर पैन्शन/उपदान कोष में हस्तांतरित न	अनिर्णीत

		करना।	
53	पैरा–10.6	दिनांक 1.1.06 के बाद सेवा निवृत कर्मचारियों की पैन्शन में संशोधित करने बारे।	अनिर्णीत
54	पैरा–11	गाड़ियों की औसत तेल खपत का निर्धारण न करवाने के कारण राशि ₹0.31 लाख की वित्तीय हानि।	अनिर्णीत
55	पैरा–11.1	गाड़ी नम्बर एच0पी09–40–8015 की उपयोगिता बारे।	अनिर्णीत
56	पैरा–11.2	बिना पूर्व स्वीकृति के वाहन को राज्य के बाहर ले जाने बारे।	अनिर्णीत
57	पैरा–11.3	जे0वी0टी0 की परीक्षा हेतु वाहन नम्बर एच0पी0–40 वी 0103 का प्रयोग करने बारे।	अनिर्णीत
58	पैरा–12	प्रत्यक्ष सत्यापन न करवाने बारे।	अनिर्णीत
59	पैरा–12.1	स्थाई वस्तुओं का अन्तशेष शून्य दर्शाने बारे।	अनिर्णीत
60	पैरा–13	अग्रिम राशि ₹0.26 लाख का समायोजन शेष।	

लधु आपत्तियॉं

क्र0 स0	अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि	आपत्ति संख्या	आपत्ति की स्थिति
1	4/62 से 3/64	2 से 4	अनिर्णीत
2	4/64 से 3/66	1 से 20	अनिर्णीत
3	4/66 से 3/68	1 से 18	अनिर्णीत
4	4/68 से 3/71	1 से 21	अनिर्णीत
5	4/71 से 9/74	1 से 54	अनिर्णीत
6	10/74 से 3/77	1	अनिर्णीत
		3 से 6	अनिर्णीत
		9 से 16	अनिर्णीत
		18 से 21	अनिर्णीत
		23 से 37	अनिर्णीत

		39 से 43	अनिर्णीत
7	4/77 से 3/78	1,3,4,10,11	अनिर्णीत
		13 से 16	अनिर्णीत
		18 से 21	अनिर्णीत
		23 से 25	अनिर्णीत
8	4/88 से 3/90	1 से 6	अनिर्णीत
9	4/96 से 3/2007	1 से 4	अनिर्णीत
		6	अनिर्णीत
		8 से 14	अनिर्णीत
		16 से 17	अनिर्णीत
		19 से 35	अनिर्णीत
		40 से 49	अनिर्णीत
		51 से 58	अनिर्णीत